राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(294)परि/कर/मु./2014/7725 जयपुर, दिनांक 2/6/2020

प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
जिला परिवहन अधिकारी,
समस्त।

विषयः– पंजीयन प्रमाणपत्र को सरेण्डर करने के संबंध में।

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 (2) एवं राजस्थान मोटर यान नियम, 1951 के नियम 25 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र के सरेण्डर एवं सरेण्डर अवधि में मोटर वाहन कर में देय छूट के प्रावधान उल्लेखित है। इन प्रावधानों में पंजीयन प्रमाणपत्र के सरेण्डर के कारण भी स्पष्ट रूप से वर्णित है, जिनके आधार पर पंजीयन प्रमाण पत्र को पंजीयन एवं कराधान अधिकारी द्वारा सरेण्डर किया जा सकता है। इन कारणों में मुख्यतया वाहन के रिपेयर और रख रखाव करवाने, वाहन के चोरी हो जाने, दुर्घटना ग्रस्त होने, वाहन का सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा संचालन अवरूद्ध करने आदि है। अधिकांश वाहन स्वामी आरसी सरेण्डर का आशय इस प्रकार लेते है कि उनको वाहन का संचालन नहीं करना है अथवा वाहन का कर नहीं जमा कराना है इस हेतु भी आरसी सरेण्डर की जा सकती है। यह स्थिति कदापि नियमानुकुल नहीं है। वाहन पंजीयन हेतु स्पष्ट प्रावधान उल्लेखित होने के बाद भी पंजीयन अधिकारियों द्वारा ऐसे परिवहन यानों विशेषतः स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की बसों के पंजीयन प्रमाणपत्र सरेण्डर करने की प्रवृति देखने को मिलती है। जबकि इन वाहनों को यांत्रिक रखरखाव की स्थिति में ही पंजीयन प्रमाणपत्र सरेण्डर किया जाना होता है। इसी प्रकार इन वाहनों को बिल्कुल नये होने की स्थिति में भी अतार्किक अवधि के लिए सरेण्डर कर दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों को कर वंचना के आधार पर परीक्षण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी आपत्ति की गई है कि अतार्किक कारणों एवं अतार्किक अवधि के लिए पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर कर लिया जाता है जो कि कदापि उचित नहीं है।

अतः इस संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैः–

1. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पंजीयन प्रमाण पत्र के सरेण्डर से संबंधित समस्त कार्यवाही केवल VAHAN 4.0 पर ही की जावे।
2. स्टेज कैरिज एवं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर के समय सरेण्डर के कारणों का तार्किक आधार पर परीक्षण किया जावे।
3. कर वंचना को निरूद्ध करने हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर कराने की अविवेकपूर्ण प्रवृति पर प्रभावी अंकुश लगाया जावे।
4. पंजीयन प्रमाण पत्र सरेण्डर के वाहनों की सूची सभी नजदीकी कार्यालयों से साझा किया जावे।
5. वाहन का रिपेयर एवं रखरखाव एक निश्चित समयावधि में संभव है अतः इस परिपेक्ष्य में 6 माह से अधिक समयावधि से सरेण्डर यात्री वाहनों की सूची मुख्यालय की कर शाखा

को संलग्न प्रारूप "अ" में 3 दिवस में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। प्रेषित सूची के अनुसार 15 दिवस में प्रत्येक सरेण्डर यात्री वाहन की नियमानुसार जांच कर मुख्यालय को संलग्न प्रारूप "ब" में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

6. उपरोक्त सूचना प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों की एकजाई कर अधिकतम 15 दिवस में मुख्यालय को ईमेल transport.tax@rajasthan.gov.in पर Soft copy एवं Hard copy में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि जैन)
परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव